संख्या-900/एक-10-2026

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग **10-लखनऊः दिनांकः** 05-08-2026

विषयः प्रदेश के अवशेष 27 जनपदों में 100-100 होमगाड्र्स प्रति जनपद की दर से कुल 2700 होमगार्डों को आपदा मित्र प्रशिक्षण हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-215/पी0सी0टी/प्रशि0-होमगार्डस/2026-27 दिनांक 12.05.2026 एवं शासन के पत्र दिनांक 23.05.2026 में की गयी अपेक्षा के क्रम में अपने पत्र सं0- 618/पी0सी0टी/प्रशि0-होमगार्डस/2026-27 दिनांक 20.07.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या/सूचना उपलब्ध कराते हुए प्रदेश के अवशेष 27 जनपदों में 100-100 होमगाड्र्स प्रति जनपद की दर से कुल 2700 होमगार्डों को आपदा मित्र प्रशिक्षण हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के कैपेसिटी बिल्डिंग मद से रू0 8,23,50,000/- आवंटित कराये जाने का अनुरोध किया गया।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 11.02.2026 में प्राप्त संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 20.07.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रदेश के अवशेष 27 जनपदों 100-100 होमगाड्र्स स्वयंसेवक प्रति जनपद की दर से कुल 2700 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों के आपदा मित्र प्रशिक्षण हेतु **रू0 8,23,50,000/- (रूपये आठ करोड़ तेईस लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(6) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(11) प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 8,23,50,000/- (रूपये आठ करोड़ तेईस लाख पचास**

हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-4 2 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 05-08-2026
18:11:17

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

<u>**संख्याः- 900(1)/एक-10-2026, तददिनांक।**</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।

3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-07/08/2026

प्रेषण संख्या:- 43
आवंटन आदेश संख्या:- 001-900
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	82350000 563194110	82350000 563194110
	योग	वर्तमान प्रगामी	82350000 563194110	82350000 563194110

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ तेइस लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छप्पन करोड़ इकत्तीस लाख चौरानवे हजार एक सौ दस

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: ...08.07 05:16:38 +05:30